रजिस्ट्री सं. डी.–(डी.) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II – खण्ड 1
PART II – Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 23] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 1986 / पौष 19, 1907
No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 1986 / PUSA 19, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि तथा न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी 1986 / पौष 19, 1907 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 8 जनवरी 1986 को राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त हुई तथा इसे एतद्द्वारा जनधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है: –

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम 1985
1986 का 3

[*8 जनवरी* 1986]

एक ऐसा अधिनियम जिसमें कुछ कृषिगत और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और उनके निर्यात संवर्धन तथा उनसे जुड़े मामलों के लिए उपकर के रुप में सीमा शुल्क लगाने और वसूल करने का प्रावधान है:

भारतीय गणतंत्र के छत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो : –

लघु शीर्षक, दायरा और टिप्पणी

1. (1) इस अधिनियम को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम 1985 कहा जाएगा।

(2) यह पूरे भारत में लागू होगा।

(3) यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित तारीख को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "प्राधिकरण" से तात्पर्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण से है;

(ख) "अनुसूचित उत्पादों" से तात्पर्य उन उत्पादों से हैं जिन्हें कुछ समय के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की अनुसूची में शामिल किया गया है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः निर्धारित किया गया है।

अनुसूचित उत्पादों पर कर या सीमा शुल्क

3. (1) इन्हें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के प्रयोजनार्थ उपकर के रुप में लगाया और वसूला जाएगा, यह एक ऐसा सीमा शुल्क है जो निर्यात किए जाने वाले सभी अनुसूचित उत्पादों पर केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अधिकतम तीन प्रतिशत मूल्य आधारित कर से अधिक नहीं होगा।

(2) अनुसूचित उत्पादों पर उपखण्ड (1) के तहत में लगाए गए सीमा शुल्क किसी समय विशेष के लिए किसी अन्य कानून के तहत ऐसी अनुसूचित उत्पादों पर लगने वाले उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधान तथा उसके तहत बनाऐ गए नियम और विनियम, जिनमें रिफण्ड तथा कर से छूट संबंधी नियम शामिल है, यथा स्थिति उपधारा (1) के तहत लगाऐ जाने वाले सीमा शुल्क के लगाने के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उक्त अधिनियम अथवा उन नियमों और विनियमों के तहत सीमा शुल्क लगाने और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

करों से प्राप्त आय को भारत की संचित निधि में जमा करना।

(4) धारा 3 के तहत लगाए गए सीमा शुल्क की आय को पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा तथा यदि संसद इस बारे में कानून द्वारा कोई विनियोजन करता है तो संग्रहण पर हुए व्यय को काटने के बाद प्राधिकरण को समय समय पर इतनी राशि का भुगतान किया जाता है जितना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना उचित समझा जाए।

एस. रमैया
विशेष सचिव, भारत सरकार